उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-- 149/2018/2780/92-2-18-38एम/2018
लखनऊ:: दिनांक: : 29 अक्टूबर 2018

शुद्धि पत्र

श्री आर0के0 सचान, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-135/2018/2487/92-2-18-38एम/2018 दिनांक 15-10-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी के सहयोगातार्थ विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली के स्थान पर त्रुटिवश सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद अंकित हो गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-10-2018 में सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के स्थान पर सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली पढा जाये।

2- अत: शासन के कार्यालय आदेश संख्या-135/2018/2487/9252-18-38एम/2018 दिनांक 15-10-2018 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-10-2018 के अन्य तथ्य यथावत रहेगे।

प्रशासनिक अधिकारी की ओर से,

वी0के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-149/2018/2780(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-फैजाबाद।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली।
4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- फैजाबाद।
5- श्री आर0के0 सचान, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।
6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in